

## Jurisprudence test paper

### Natural school

1	Ancient	5-3 <sup>rd</sup> bc	Socrates,plato Aristotle,cicero	Law in built	प्राकृतिक विधि को सार्वभौमिक नैतिक व्यवस्था माना; कानून तर्क पर आधारित होना चाहिए; सिसेरो ने कहा – “कानून प्रकृति के साथ समंजस्य रखने वाला सही तर्क है।”
2	<b>Medieval</b> मध्यकालीन काल	4-14 <sup>th</sup> ad	<b>Saint Augustine, Saint Thomas Aquinas</b>	God provide	विधि को ईश्वर की इच्छा से जोड़ा; एकिनास ने शाश्वत विधि, प्राकृतिक विधि और मानव विधि में भेद किया।
3	<b>Renaissance</b> पुनर्जागरण काल	15-16 <sup>th</sup> ad	<b>Grotius</b>	Generate inter. Law	प्राकृतिक विधि को धर्म से अलग किया; अंतरराष्ट्रीय विधि की नींव रखी; सामाजिक संविदा को समाज की नींव बताया।
4	<b>Modern (Early Modern)</b> आधुनिक काल (प्रारंभिक)	17-18 ad	<b>Hobbes, Locke, Rousseau</b>	Law not for 1. सामूहिक इच्छा	हॉब्स – सामाजिक संविदा से सर्वशक्तिमान संप्रभु लॉक – जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा; रूसो – सामूहिक इच्छा और जनसत्ता।
5	<b>Modern Period</b> आधुनिक काल	19-20 ad	<b>Stammler, Kohler, Fuller,</b>		स्टैम्लर – परिवर्तनीय सामग्री वाली प्राकृतिक विधि; कोहलर – संस्कृति के विकास से विधि; फुलर – विधि की आंतरिक नैतिकता; रॉल्स – न्याय को समानता के रूप में (प्राकृतिक विधि का आधुनिक रूप)।
Social Contr theory	सामाजिक संविदा का सिद्धांत (सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी)				

सुकरात का मानना था कि जैसे प्राकृतिक भौतिक नियम होते हैं, वैसे ही एक प्राकृतिक नैतिक नियम भी है। मनुष्य अपनी आंतरिक अंतर्दृष्टि के द्वारा अच्छाई और बुराई को पहचान सकता है और इस प्रकार शाश्वत एवं परम नैतिक नियमों की खोज कर सकता है।

प्लेटो के अनुसार, विधि शिष्टाचार की सभ्यता है और वह मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आदिम पशुवत् अवस्था से आगे बढ़ता है। मनुष्य हमेशा उचित सामाजिक जीवन का सर्वोत्तम तरीका नहीं जानता, और यदि जान भी ले, तो स्वार्थ उसे नियंत्रित कर लेते हैं। विधि को निर्देशों द्वारा लागू किया जा सकता है, परंतु उपेक्षा होने पर दंड आवश्यक हो जाता है। फिर भी प्राकृतिक विधि का पालन करना नैतिक कर्तव्य है।

अरस्तू के अनुसार, मनुष्य प्रकृति का अंग है क्योंकि वह ईश्वर की रचना है और अपनी इच्छा से वह तर्क का सक्रिय उपयोग करता है। विधि एक शुद्ध उपदेश है, जो स्वाभाविक रूप से मानव कल्याण की ओर निर्देशित है। उन्होंने विधि को “भावनाओं से मुक्त तर्क” कहा।

सिसरो का मानना था कि विवेक संसार पर शासन करता है और विधि प्रकृति के पूर्ण सामंजस्य में है। यह सार्वभौमिक, अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। विधि कर्तव्यों का आदेश देती है और बुरे कार्यों को निषिद्ध करती है। प्राकृतिक विधि का उल्लंघन करना स्वयं में अपराध है।

संत अँगस्टिन के अनुसार, विधि की जड़ें ईश्वरीय आदेश में निहित हैं और इसकी सत्ता ईश्वर से प्राप्त होती है। उनका मानना था कि प्राकृतिक विधि, दैवीय विधि का एक भाग है और मानव निर्मित विधि को सदैव ईश्वर की उच्चतर विधि के अनुरूप होना चाहिए। यदि कोई मानव विधि दैवीय विधि का विरोध करती है तो वह वास्तविक विधि नहीं है।

संत थॉमस एकिनास ने प्राकृतिक विधि के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप दिया। उनके अनुसार, प्राकृतिक विधि दैवीय विधि का एक भाग है और मनुष्य की बुद्धि उसे खोजने में सक्षम है। उन्होंने विधि के चार प्रकार बताएः (1) शाश्वत विधि (ईश्वर की योजना), (2) दैवीय विधि (धर्मग्रंथों में प्रकट), (3) प्राकृतिक विधि (मनुष्य की बुद्धि से ज्ञात), और (4) मानव विधि (शासकों द्वारा बनाई गई, परंतु तभी वैध जब यह प्राकृतिक विधि के अनुरूप हो)।

हॉब्स के अनुसार, विधि शासक का आदेश है, जो मनुष्य की स्वार्थी और क्रूर प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। प्राकृतिक अवस्था में जीवन “एकाकी, निर्धन, घृणित, क्रूर और अल्पकालिक” था। इसलिए लोगों ने सामाजिक अनुबंध करके सत्ता शासक को सौंप दी और विधि शासक की इच्छा बन गई।

कोहलर ऐतिहासिक विधिशास्त्र के प्रवक्ता थे। उनके अनुसार, विधि मानव संस्कृति और सभ्यता की उपज है तथा यह समाज की प्रगति के साथ धीरे-धीरे विकसित होती है।

रॉल्स ने “न्याय के रूप में निष्पक्षता” का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, विधि और संस्थाएँ तभी न्यायसंगत हैं जब वे समान मौलिक अधिकार प्रदान करें, और सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ तभी स्वीकार्य हैं जब वे समाज के सबसे वंचित वर्ग के हित में हों (अंतर सिद्धांत)।

**फुलर ने विधि की “आंतरिक नैतिकता” पर बल दिया।** उन्होंने आठ सिद्धांत बताए (**स्पष्टता, संगति, भविष्यगामी प्रभाव, सार्वभौमिकता, पालन की संभवना, नियम और क्रिया का सामंजस्य, स्थिरता, और प्रचार**) जो किसी विधिक प्रणाली को न्यायसंगत और प्रभावी बनाते हैं।

सामाजिक संविदा का सिद्धांत (सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी) **थॉमस हॉब्स जॉन लॉक: जीन-जैक्स रूसो:**

### सामाजिक संविदा का सिद्धांत (सोशल कॉन्ट्रैक्ट थोरी)

एक राजनीतिक और दार्शनिक सिद्धांत है, जिसके अनुसार राज्य और समाज की उत्पत्ति व्यक्तियों के आपसी समझौते या करार से हुई है।

इस सिद्धांत की मूल अवधारणा यह है कि:

- शुरू में लोग एक "प्राकृतिक अवस्था" में रहते थे, जहाँ कोई सरकार, नियम या कानून नहीं था।
- अलग-अलग विचारकों (जैसे हॉब्स, लॉक और रूसो) ने इस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन अलग-अलग तरीके से किया है, किसी ने इसे भयानक और अराजक बताया तो किसी ने शांतिपूर्ण।
- इस अवस्था से निकलने के लिए, लोगों ने आपस में मिलकर एक समझौता किया। इस समझौते के तहत उन्होंने अपने कुछ अधिकार एक संप्रभु या शासक को सौंप दिए, जिसके बदले में उन्हें सुरक्षा, शांति और एक व्यवस्थित समाज मिला।
- इस समझौते से राज्य का निर्माण हुआ।

प्रमुख विचारक और उनके विचार **हॉब्स लॉक रूसो**

- थॉमस हॉब्स: उनका मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन "अकेला, गरीब, बुरा, बर्बर और छोटा" होता था। इससे बचने के लिए लोगों ने अपनी सारी शक्तियाँ एक निरंकुश शासक को सौंप दीं।
- जॉन लॉक: उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में लोगों के पास जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार थे। सरकार का काम इन अधिकारों की रक्षा करना है, और अगर सरकार ऐसा करने में विफल रहती है, तो लोग उसे हटा सकते हैं।
- जीन-जैक्स रूसो: उनके अनुसार, प्राकृतिक अवस्था में लोग सहज और स्वतंत्र थे, लेकिन समाज के विकास ने उन्हें भ्रष्ट कर दिया। उन्होंने एक ऐसे सामाजिक समझौते की बात की जिसमें लोग अपनी स्वतंत्रता को एक "सामान्य इच्छा" (जनरल विल) के अधीन कर देते हैं, जिससे समाज में सभी के लिए भलाई सुनिश्चित हो।

संक्षेप में, सामाजिक संविदा का सिद्धांत यह बताता है कि सरकार और नागरिक एक आपसी समझौते से बंधे होते हैं, जिसमें नागरिक अपने कुछ अधिकार छोड़ते हैं और बदले में सरकार से सुरक्षा और व्यवस्थित जीवन की अपेक्षा करते हैं।

---

□ Discuss John Austin's theory of law as the command of the sovereign.

(जॉन ऑस्टिन के कानून के "सर्वोच्च सत्ता के आदेश" सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।)

□ Explain and critically analyse Austin's Command Theory of Law.

(ऑस्टिन के आदेश सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा उसका समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।)

□ What are the essential elements of Austin's Command Theory? Discuss its relevance in modern times.

(ऑस्टिन के आदेश सिद्धांत के आवश्यक तत्व क्या हैं? आधुनिक समय में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए।)

---

■ जॉन ऑस्टिन का "सर्वोच्च सत्ता का आदेश" सिद्धांत

◆ परिचय

जॉन ऑस्टिन (1790–1859) विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्र (Analytical School of Jurisprudence) के प्रमुख विद्वान थे। उन्होंने कानून को "सर्वोच्च सत्ता (Sovereign) का आदेश, जिसके साथ दंड (Sanction) जुड़ा हो" के रूप में परिभाषित किया। यह सिद्धांत *Command Theory of Law* के नाम से प्रसिद्ध है। ऑस्टिन पहले विधिवेत्ता थे जिन्होंने कानून को नैतिकता, धर्म और परंपरा से अलग एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया।

---

◆ ऑस्टिन के अनुसार कानून की परिभाषा

ऑस्टिन ने कहा — "Law is a command of the sovereign, backed by a sanction." "कानून सर्वोच्च सत्ता का वह आदेश है जिसके पालन न करने पर दंड मिलता है।"

अतः कानून के चार मुख्य तत्व हैं —

1. **आदेश (Command)** — उच्च सत्ता द्वारा अधीन व्यक्ति को दिया गया निर्देश।
  2. **कर्तव्य (Duty)** — आदेश से पालन का दायित्व उत्पन्न होता है।
  3. **दंड (Sanction)** — आदेश न मानने पर दंड या परिणाम।
  4. **सर्वोच्च सत्ता (Sovereign)** — वह सत्ता जिसे समाज सामान्यतः मानता है और जो किसी अन्य के अधीन नहीं है।
-

◆ सिद्धांत के मुख्य तत्व

1. आदेश (Command)

- राजनीतिक श्रेष्ठ (Political Superior) की इच्छा या निर्देश।
- उदाहरण: “कर चुकाओ” — राज्य का आदेश।

2. कर्तव्य (Duty)

- जिस पर आदेश लागू होता है, उस पर पालन का कानूनी दायित्व बनता है।

3. दंड (Sanction)

- आदेश का उल्लंघन करने पर दंड या दायित्व।
- उदाहरण: आयकर न देना → दंड या जुर्माना।

4. सर्वोच्च सत्ता (Sovereign)

- वह व्यक्ति या संस्था जिसे समाज नियमित रूप से मानता है।
- लोकतंत्र में संसद और सरकार, परंतु संविधान की सीमाओं में।

---

◆ उदाहरण

“चोरी मत करो” → सर्वोच्च सत्ता का आदेश। इससे नागरिकों पर कर्तव्य उत्पन्न होता है, और उल्लंघन पर IPC के अंतर्गत दंड मिलता है।

---

◆ ऑस्टिन सिद्धांत की विशेषताएँ

1. स्पष्ट, सरल और वैज्ञानिक परिभाषा।
2. कानून को नैतिकता और धर्म से अलग करता है।
3. आपराधिक कानून और दंड प्रणाली को समझाने में उपयोगी।

---

◆ आलोचनाएँ (Criticisms)

1. कठोर और पुराना सिद्धांत – आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र पर लागू नहीं होता।
2. नैतिकता की उपेक्षा – न्याय, आचार और प्राकृतिक अधिकारों को नज़रअंदाज़ करता है।
3. अंतरराष्ट्रीय कानून पर लागू नहीं – वहाँ कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं, फिर भी पालन होता है।
4. आदतन आज्ञापालन (Habitual Obedience) – लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता संविधान और जनता में निहित है, किसी व्यक्ति में नहीं।
5. रीति-रिवाज आधारित कानून – कई कानून परंपराओं से बने हैं, किसी आदेश से नहीं।

---

◆ प्रमुख न्यायिक दृष्टिं

- State of West Bengal v. Union of India (1963) → सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संप्रभुता संविधान में निहित है, केवल संसद में नहीं।
- Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) → संसद की शक्ति “मूल संरचना सिद्धांत” से सीमित है, जिससे सिद्ध होता है कि सर्वोच्च सत्ता निरंकुश नहीं है।

---

◆ निष्कर्ष

ऑस्टिन का आदेश सिद्धांत कानून को नैतिकता से स्वतंत्र विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने का ऐतिहासिक प्रयास था। परंतु आज के संवैधानिक युग में जहाँ सत्ता विभाजित और सीमित है, यह सिद्धांत अत्यधिक कठोर माना जाता है। फिर भी, “कानूनी प्रत्यक्षवाद (Legal Positivism)” की नींव रखने में ऑस्टिन का योगदान अमूल्य और स्पायी है।

## ■ आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऑस्टिन के “आदेश सिद्धांत” की सीमाओं का समालोचनात्मक विश्लेषण

---

### ◆ परिचय

जॉन ऑस्टिन ने कानून को “सर्वोच्च सत्ता का आदेश” (Command of the Sovereign) कहा, जो दंड (Sanction) द्वारा समर्थित होता है। यह सिद्धांत कानून को नैतिकता, धर्म और परंपरा से अलग एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करता है। किंतु आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में जहाँ **संविधान** सर्वोच्च है और सत्ता विभाजित है, वहाँ ऑस्टिन का यह सिद्धांत कई सीमाओं से ग्रस्त है।

---

### ◆ ऑस्टिन के सिद्धांत का सार

ऑस्टिन के अनुसार —

“Law is a command of the sovereign, backed by a sanction.”  
अर्थात् कानून वह आदेश है जो सर्वोच्च सत्ता द्वारा दिया गया हो और जिसका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान हो।

इस परिभाषा में चार प्रमुख तत्व हैं —

1. आदेश (Command)
  2. कर्तव्य (Duty)
  3. दंड (Sanction)
  4. सर्वोच्च सत्ता (Sovereign)
- 

### ◆ आधुनिक लोकतंत्र में सिद्धांत की सीमाएँ

#### 1. संविधान सर्वोच्च है, व्यक्ति नहीं

- आधुनिक लोकतंत्रों में “सर्वोच्च सत्ता” किसी व्यक्ति में नहीं बल्कि **संविधान** में निहित है।
- भारत में संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका — सभी संविधान द्वारा सीमित हैं।
- अतः कोई भी संस्था ‘निरंकुश सर्वोच्च सत्ता’ नहीं कही जा सकती।

#### 2. जनसत्ता (Popular Sovereignty)

- लोकतंत्र में असली सत्ता जनता के पास होती है।
- जनता केवल अस्थायी रूप से सत्ता प्रतिनिधियों को सौंपती है, जो ऑस्टिन की “habitual obedience” की अवधारणा से भिन्न है।

#### 3. विधायी, कार्यकारी और न्यायिक विभाजन

- सत्ता का विभाजन (Separation of Powers) ऑस्टिन के एकात्मक (Unitary) विचार के विपरीत है।
- प्रत्येक अंग दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन रखता है।

#### 4. नैतिकता और न्याय की भूमिका

- आधुनिक कानून केवल दंड या आदेश नहीं, बल्कि न्याय, मानवाधिकार और नैतिक मूल्यों पर आधारित हैं।
- ऑस्टिन का सिद्धांत इन मानवीय पहलुओं की उपेक्षा करता है।

#### 5. अंतरराष्ट्रीय कानून और संगठन

- अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई “सर्वोच्च सत्ता” नहीं है, फिर भी देश अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करते हैं।
- यह ऑस्टिन की संप्रभुता की धारणा को चुनौती देता है।

#### 6. परंपरागत और न्यायनिर्मित कानून (Custom & Case Law)

- कई कानून समाज की परंपराओं और न्यायिक व्याख्याओं से बनते हैं, न कि किसी आदेश से।

- उदाहरण: कॉमन लॉ प्रणाली।
- 

◆ न्यायिक सिद्धांत

- **State of West Bengal v. Union of India (1963)** — सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संप्रभुता संविधान में निहित है, संसद में नहीं।
  - **Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973)** — संसद की शक्ति "मूल संरचना सिद्धांत" से सीमित है।  
इन दोनों मामलों ने ऑस्टिन की "असीमित सर्वोच्च सत्ता" की धारणा को अस्वीकार किया।
- 

◆ निष्कर्ष

ऑस्टिन का आदेश सिद्धांत अपने समय में क्रांतिकारी था, जिसने कानून को वैज्ञानिक और नैतिकता से स्वतंत्र रूप में प्रस्तुत किया। परंतु आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र में यह सिद्धांत सीमित, कठोर और अप्रासंगिक प्रतीत होता है क्योंकि —

- यहाँ सत्ता संविधान और जनता में निहित है,
- और कानून का उद्देश्य केवल आदेश पालन नहीं, बल्कि न्याय, समानता और मानवाधिकारों की रक्षा है।

फिर भी, यह सिद्धांत "कानूनी प्रत्यक्षवाद" (Legal Positivism) की नींव बनाकर आज भी न्यायशास्त्र के अध्ययन का महत्वपूर्ण संभ त्र है।

---

यह पूरा विषय — **Analytical School of Jurisprudence (विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्र)** —

आपके *Jurisprudence* (न्यायशास्त्र) पेपर में **Long / Descriptive Type Question** (दीर्घ प्रश्न) के रूप में पूछा जाता है।

नीचे इसका हिंदी रूपांतरण दिया गया है ताकि आप इसे नोट्स या उत्तर के रूप में उपयोग कर सकें 🤝

---

■ **विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्र (Analytical School of Jurisprudence) (Command Theory / Austin's Theory / Legal Positivism)**

---

◆ परिचय

विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्र (Analytical Jurisprudence) वह विधिक सिद्धांत है जो आधुनिक विश्लेषणात्मक दर्शन के सिद्धांतों के आधार पर "कानून की प्रकृति" को समझने का प्रयास करता है। यह विचारधारा कानून को नैतिकता, धर्म और सामाजिक परंपराओं से अलग रखकर केवल उसके वैज्ञानिक स्वरूपका अध्ययन करती है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जब *Natural Law Theory* (प्राकृतिक विधि सिद्धांत) अपने चरम पर थी, तब इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप *Positivistic Thinking* (सकारात्मक विचारधारा) विकसित हुई।

इस विचारधारा के अनुसार — "कानून वही है जो विधायिका या सर्वोच्च सत्ता द्वारा बनाया गया हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा।"

---

◆ मुख्य प्रवर्तक

1. **Jeremy Bentham (1748–1832)** – संस्थापक (Founder)
  2. **John Austin (1790–1859)** – प्रवर्तक (Father of Analytical School)
  3. **Hans Kelsen (1881–1973)** – Pure Theory of Law के संस्थापक
  4. **H.L.A. Hart (1907–1992)** – Modern Analytical Thinker
- 

◆ 1. Jeremy Bentham

◆ परिचय जेरेमी बेंथम एक अंग्रेज विधिवेत्ता, दार्शनिक और सामाजिक सुधारक थे। उन्होंने प्राकृतिक विधि को "Nonsense upon stilts" कहा था। उनका सिद्धांत उपयोगितावाद (Utilitarianism) पर आधारित था — "कानून का उद्देश्य आनंद (Pleasure) बढ़ाना और पीड़ा (Pain) घटाना है।"

◆ बेंथम के प्रमुख विचार

- कानून का कार्य व्यक्ति को बंधनों से मुक्त कर स्वतंत्र बनाना है।
- कानून को वैज्ञानिक दृष्टि से बनाना चाहिए।

- अच्छा या बुरा कानून भी कानून है जब तक उसे विधायिका रद्द न करे।
  - सर्वोच्च सत्ता (Sovereign) का आदेश ही कानून है।
  - उन्होंने कानून समझाने वालों को दो वर्गों में बँटा –
    1. **Expositors** – जो बताते हैं कि कानून क्या है।
    2. **Censors** – जो बताते हैं कि कानून कैसा होना चाहिए।
- 

#### 2. John Austin (1790–1859)

◆ परिचय ऑस्टिन, बैंथम के शिष्य थे और उन्होंने *Legal Positivism* को व्यवस्थित रूप दिया। उन्होंने कहा – “Law is the command of the sovereign backed by sanction.” “कानून सर्वोच्च सत्ता का आदेश है, जिसके पालन न करने पर दंड मिलता है।”

◆ ऑस्टिन के अनुसार कानून के तत्व

1. **Command (आदेश)** – सर्वोच्च सत्ता द्वारा दिया गया निर्देश।
2. **Duty (कर्तव्य)** – आदेश से पालन का दायित्व।
3. **Sanction (दंड)** – आदेश का उल्लंघन करने पर परिणाम।
4. **Sovereign (सर्वोच्च सत्ता)** – वह जिसे समाज नियमित रूप से मानता है।

◆ कानून के प्रकार

1. **Law of God** – ईश्वर द्वारा बनाए गए नियम।
2. **Human Laws** – मनुष्य द्वारा मनुष्य के लिए बनाए गए नियम।
  - (a) **Positive Laws** – राजनीतिक सत्ता द्वारा बनाए गए।
  - (b) **Other Laws** – जो राजनीतिक सत्ता द्वारा नहीं बनाए गए।

◆ आदेश के दो प्रकार

1. **Particular Command** – किसी विशेष परिस्थिति या वर्ग के लिए (जैसे आपातकाल)।
  2. **General Command** – सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू।
- 

◆ ऑस्टिन सिद्धांत की आलोचनाएँ

1. **रीति-रिवाजों की उपेक्षा** – प्रथा आधारित कानूनों का उल्लेख नहीं।
  2. **न्यायालय निर्मित कानून (Judge-made law)** को स्थान नहीं दिया।
  3. **संवैधानिक परंपराएँ (Conventions)** कानून की परिभाषा से बाहर।
  4. **अंतरराष्ट्रीय कानून** को “Positive Morality” कहकर अस्वीकार किया।
  5. **नैतिकता का अभाव** – कानून और नैतिकता को पूरी तरह अलग किया।
  6. **सर्वोच्च सत्ता की धारणा अव्यावहारिक** – आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता विभाजित है।
  7. **दंड को ही पालन का कारण मानना** – जबकि लोग नैतिक, सामाजिक कारणों से भी कानून मानते हैं।
- 

#### 3. Hans Kelsen (1881–1973) ◆ Pure Theory of Law (शुद्ध विधि सिद्धांत)

- Hans Kelsen ने *Vienna School* (ऑस्ट्रिया) के अंतर्गत यह विचार प्रस्तुत किया।
- उन्होंने कहा कि कानून को “राजनीति” या “नैतिकता” से अलग कर **शुद्ध विज्ञान (Pure Science)** के रूप में देखा जाना चाहिए।
- उनका केंद्रीय सिद्धांत था – **Grundnorm (मूल नियम)**।

◆ **Grundnorm**-- "Grundnorm वह मूल सिद्धांत है जिससे सभी कानून अपनी वैधता प्राप्त करते हैं।"

- यह स्वयं में वैध (Valid) होता है।
- संविधान उसी के अधीन है।
- यह प्राकृतिक कानून से भिन्न लेकिन उससे प्रभावित अवधारणा है।

◆ **Kelsen के अनुसार**

- कानून एक **Normative Science** है — यानी कानून "क्या है" बताता है, "क्या होना चाहिए" नहीं।
- कानून आदेश नहीं बल्कि **मानदंडों (Norms)** की श्रृंखला है।
- ये मानदंड तीन प्रकार के हो सकते हैं —
  1. आदेश देना,
  2. अधिकार देना,
  3. अनुमति देना।

◆ **आलोचनाएँ**

1. समाज और नैतिकता से कानून को पूरी तरह अलग करना अव्यवहारिक।
2. यह सिद्धांत काल्पनिक और अत्यधिक सैद्धांतिक है।
3. सामाजिक यथार्थ को नज़रअंदाज़ करता है।
4. कानून को पूर्ण रूप से नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता।

◆ **4. H.L.A. Hart (1907–1992) --** ◆ **परिचय---** H.L.A. Hart आधुनिक युग के प्रमुख विधिवेत्ता थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "*The Concept of Law*" (1961) में कानून को **Rules (नियमों)** की प्रणाली के रूप में समझाया।

◆ **मुख्य विचार**

- कानून केवल आदेश नहीं बल्कि **सामाजिक नियमों की प्रणाली (System of Social Rules)** है।
- नियम दो प्रकार के —
  1. **Primary Rules** – आचरण के नियम (Rules of Conduct)
  2. **Secondary Rules** – कानून को लागू संशोधित या पहचानने वाले नियम।
    - **Rules of Adjudication** – विवाद सुलझाने के लिए।
    - **Rules of Change** – कानून में परिवर्तन के लिए।
    - **Rule of Recognition** – मान्य कानून पहचानने के लिए।

◆ **निष्कर्ष**

विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्र ने कानून को नैतिकता और धर्म से अलग एक **वैज्ञानिक अध्ययन** के रूप में स्थापित किया। बेथम ने "कानून का उद्देश्य सुख", ऑस्टिन ने "कानून सर्वोच्च सत्ता का आदेश", केलसन ने "कानून मानदंडों की श्रृंखला", और हार्ट ने "कानून नियमों की प्रणाली" बताया। इन सबने मिलकर यह स्पष्ट किया कि — "कानून को समझने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि कानून क्या है, न कि कानून क्या होना चाहिए।"

### **◆ सामाजिक न्यायशास्त्र का विद्यालय (Sociological School of Jurisprudence)**

◆ **परिचय (Introduction)**

सामाजिक न्यायशास्त्र आधुनिक युग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विद्यालय है। इसका उदय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ जब औद्योगिक क्रांति के बाद समाज में तीव्र परिवर्तन आए। इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य था — "कानून को समाज की आवश्यकताओं, परंपराओं और मूल्यों के अनुरूप समझना।"

## Jurisprudence test paper

जहाँ विश्लेषणात्मक विद्यालय (Analytical School) ने कानून को “सत्ता का आदेश” कहा, वहीं सामाजिक विद्यालय (Sociological School) ने कहा — “कानून समाज के जीवन से उत्पन्न होता है और समाज के कल्याण के लिए होता है!” इस विद्यालय का मूल आधार है — “Law is a social phenomenon.” (कानून एक सामाजिक घटना है।)

---

### ◆ मुख्य विचार (Main Idea)

- कानून न तो केवल विधायिका की रचना है, और न ही केवल नैतिक या दैवीय सिद्धांतों का परिणाम।
  - कानून समाज की आवश्यकताओं से जन्म लेता है और उसका उद्देश्य समाज में संतुलन, न्याय और व्यवस्था बनाए रखना है।
  - यह विद्यालय कहता है कि — “कानून को समाज के व्यवहार, प्रथाओं और संस्थाओं के संदर्भ में समझना चाहिए।”
- 

### ◆ सामाजिक न्यायशास्त्र के प्रमुख विचारक (Main Thinkers)

विचारक	प्रमुख विचार
1. Auguste Comte (1798–1857)	सामाजिक न्यायशास्त्र के जनक; उन्होंने कहा कि कानून का अध्ययन सामाजिक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए।
2. Eugen Ehrlich (1862–1922)	‘Living Law’ (जीवंत विधि) का सिद्धांत; न्यायालय का कानून नहीं, बल्कि समाज में प्रचलित आचरण ही वास्तविक कानून है।
3. Roscoe Pound (1870–1964)	“Law is a tool of social engineering” — कानून समाज को संतुलित रूप से चलाने का उपकरण है।
4. Duguit (1859–1928)	‘Social Solidarity’ (सामाजिक एकता) का सिद्धांत; राज्य का कार्य समाज के सामूहिक हित की पूर्ति करना है।
5. Ihering (Rudolf von Ihering, 1818–1892)	‘Law is the result of struggle’ — कानून समाज के संघर्षों और आवश्यकताओं से विकसित होता है।

---

#### ◆ 1. Auguste Comte

- उन्होंने “Sociology” शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया।
  - कहा कि समाज और कानून का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाना चाहिए।
  - कानून का उद्देश्य समाज में संगठन और अनुशासन बनाए रखना है।
- 

#### ◆ 2. Eugen Ehrlich – Living Law Theory (जीवंत विधि सिद्धांत)

- उन्होंने कहा कि वास्तविक कानून वह नहीं जो पुस्तक में लिखा है, बल्कि वह है जो लोग अपने दैनिक जीवन में मानते और पालन करते हैं।
  - उन्होंने कहा — “The centre of gravity of legal development lies not in legislation or judicial decision but in society itself.” अर्थात् — विधिक विकास का केन्द्र न्यायालय या विधान नहीं, बल्कि समाज है।
  - Ehrlich ने “Living Law” शब्द से समाज में व्यवहारिक नियमों की पहचान की।
- 

#### ◆ 3. Roscoe Pound – Law as a Tool of Social Engineering

- Roscoe Pound अमेरिका के महान न्यायशास्त्री थे।
- उन्होंने कहा कि कानून का उद्देश्य “Social Engineering” है, यानी — “कानून समाज में विभिन्न हितों (Interests) को संतुलित करने का साधन है।” Pound के अनुसार हितों के प्रकार:
  1. Individual Interests (व्यक्तिगत हित) – जैसे जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति आदि।
  2. Public Interests (सार्वजनिक हित) – जैसे स्वास्थ्य, सुरक्षा, व्यवस्था।

3. **Social Interests (सामाजिक हित)** – जैसे न्याय, समानता, आर्थिक सुरक्षा।
- न्यायालय और विधायिका का कार्य इन सब हितों के बीच संतुलन बनाना है।
- 

 **4. Duguit – Theory of Social Solidarity (सामाजिक एकता का सिद्धांत)**

- ज्यूगिट के अनुसार राज्य की सत्ता “सर्वोच्च” नहीं है, बल्कि वह केवल एक सामाजिक संस्था है।
  - राज्य का कर्तव्य है कि वह समाज की सामूहिक आवश्यकताओं को पूरा करे।
  - राज्य या कानून का औचित्य तभी है जब वह समाज की एकता और कल्याण को बढ़ाए।
  - उनका कथन था — “Law should aim at maintaining social solidarity.” अर्थात् — कानून का उद्देश्य सामाजिक एकता को बनाए रखना है।
- 

 **5. Ihering – Law as a Means to an End (उद्देश्य की पूर्ति का साधन)**

- उन्होंने कहा कि कानून समाज की आवश्यकताओं और संघर्षों से उत्पन्न होता है।
  - कानून का उद्देश्य केवल न्याय नहीं बल्कि समाज में “हितों की सुरक्षा” है।
  - उन्होंने कहा — “The end of law is to serve life.” अर्थात् — कानून का अंतिम उद्देश्य जीवन की सेवा करना है।
- 

◆ **सामाजिक न्यायशास्त्र की विशेषताएँ (Features of Sociological School)**

- कानून का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टि से किया जाता है।
  - कानून का स्रोत समाज की आवश्यकताएँ हैं।
  - कानून का उद्देश्य समाज का कल्याण है।
  - न्यायशास्त्र को व्यवहारिक (Practical) और जीवनपरक (Realistic) बनाया गया।
  - कानून और नैतिकता के बीच संतुलन स्थापित किया गया।
- 

◆ **आलोचनाएँ (Criticisms)**

- यह सिद्धांत अत्यधिक सामान्य और अमूर्त (Abstract) है।
  - यह कानून की निश्चितता को कम कर देता है।
  - समाज की विविधता को मापने का कोई ठोस मानदंड नहीं देता।
  - कभी-कभी “सामाजिक हित” की परिभाषा अस्पष्ट रहती है।
- 

◆ **निष्कर्ष (Conclusion)**

सामाजिक न्यायशास्त्र ने कानून को समाज से जोड़ा और यह बताया कि — “कानून समाज के जीवन का प्रतिबिंब है।” Ehrlich ने कानून को समाज का जीवंत व्यवहार कहा, Roscoe Pound ने इसे समाज को संतुलित करने का उपकरण, और Duguit ने इसे सामाजिक एकता का साधन बताया।

इस प्रकार, यह विद्यालय बताता है कि — “कानून समाज के लिए है, समाज कानून के लिए नहीं।”

---

 **ऐतिहासिक न्यायशास्त्र का विद्यालय (Historical School of Jurisprudence)**

◆ **परिचय (Introduction)**

ऐतिहासिक न्यायशास्त्र का विद्यालय 18वीं और 19वीं शताब्दी में उस समय विकसित हुआ जब फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में समाज, शासन और कानून में तीव्र परिवर्तन हो रहे थे। इस विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य था — “कानून को उसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति और सामाजिक विकास के संदर्भ में समझना।” इसने यह माना कि — “कानून किसी व्यक्ति या विधान का आदेश नहीं, बल्कि समाज की परंपराओं, प्रथाओं और अनुभवों का परिणाम है।”

---

◆ मुख्य सिद्धांत (Main Idea)

- कानून का विकास धीरे-धीरे समाज की आवश्यकताओं और परंपराओं से होता है।
- कोई भी कानून कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता।
- कानून समाज की “सामूहिक चेतना” (Collective Consciousness) का परिणाम है।

इस विद्यालय ने “कानून” को एक जीवंत और विकासशील संस्था माना, जो समाज के साथ-साथ बढ़ती और बदलती है।

---

◆ मुख्य विचारक (Main Thinkers of Historical School)

विचारक	प्रमुख विचार
1. Friedrich Karl von Savigny (1779–1861)	“Volkgeist” या “राष्ट्रीय आत्मा” का सिद्धांत — कानून जनता की सामूहिक चेतना से उत्पन्न होता है।
2. Sir Henry Maine (1822–1888)	कानून का विकास “Status से Contract” की ओर होता है।
3. Edmund Burke (1729–1797)	परंपराएँ समाज की आत्मा हैं; कानून उन्हें नष्ट नहीं कर सकता।
4. Puchta (Georg Friedrich Puchta)	Savigny के शिष्य; कहा कि कानून का स्रोत न केवल जनता की भावना है बल्कि न्यायिकों की व्याख्या भी है।

---

◆ 1. Savigny – “Volkgeist” या राष्ट्रीय आत्मा का सिद्धांत

- सैविनी ऐतिहासिक विद्यालय के जनक माने जाते हैं।
- उन्होंने कहा कि — “Law is not made, it grows with the people.” अर्थात् — कानून बनाया नहीं जाता, बल्कि यह जनता के साथ बढ़ता है।
- कानून किसी एक व्यक्ति या विधान मंडल का नहीं, बल्कि जनता की सामूहिक चेतना (Volksgeist) का परिणाम है।
- उन्होंने फ्रांस में “Code Napoleon” की आलोचना करते हुए कहा कि किसी राष्ट्र के लिए कानून उसकी संस्कृति, परंपरा और जीवनशैली के अनुरूप होना चाहिए।

◆ 2. Henry Maine – “Status to Contract” सिद्धांत

- Henry Maine ने समाज के विकास का नियम बताया — “The movement of progressive societies has been from Status to Contract.” अर्थात् — समाज का विकास “स्थिति (Status)” से “अनुबंध (Contract)” की ओर होता है।
- पुराने समय में व्यक्ति का स्थान जन्म और परिवार से तय होता था (Status), जबकि आधुनिक समाज में व्यक्ति की स्थिति अनुबंध, योग्यता और स्वतंत्रता पर आधारित है।
- उन्होंने कहा कि कानून सामाजिक प्रगति का साधन है जो धीरे-धीरे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ाता है।

◆ 3. Edmund Burke

- बर्क ने कहा कि समाज की परंपराएँ और रिवाज ही उसकी शक्ति हैं।
- कानून को अचानक नहीं बदला जा सकता; वह धीरे-धीरे विकसित होना चाहिए।
- उन्होंने “Continuity in law” (कानूनी निरंतरता) पर बल दिया।

 **4. Puchta**

- Puchta ने कहा कि कानून के दो स्रोत हैं –
    1. जनता की सामूहिक भावना (Volkgeist),
    2. न्यायविदों की व्याख्या (Juristic interpretation)।
  - न्यायविद समाज की आवश्यकताओं को समझकर कानून का विकास करते हैं।
- 

◆ **ऐतिहासिक विद्यालय की विशेषताएँ (Features of Historical School)**

1. कानून का स्रोत समाज की परंपराएँ और रिवाज हैं।
  2. कानून का विकास धीरे-धीरे स्वाभाविक रूप से होता है।
  3. विधानमंडल कानून नहीं बनाती, केवल उसे व्यक्त करती है।
  4. प्रत्येक राष्ट्र का कानून उसकी संस्कृति और इतिहास से जुड़ा है।
  5. कानून और समाज एक-दूसरे पर निर्भर हैं।
- 

◆ **आलोचनाएँ (Criticisms)**

1. **अत्यधिक परंपरागादी** – यह विद्यालय परिवर्तन की गति को कम करता है।
  2. **विधायिका की भूमिका को नकारता है** – जबकि आधुनिक समय में विधान ही प्रमुख स्रोत है।
  3. **वैज्ञानिक आधार की कमी** – केवल ऐतिहासिक दृष्टि पर आधारित।
  4. **सभी समाजों पर लागू नहीं** – सभी देशों का विकास समान रूप से नहीं होता।
- 

◆ **निष्कर्ष (Conclusion)**

ऐतिहासिक न्यायशास्त्र का विद्यालय यह सिखाता है कि – “कानून को समझने के लिए उसके इतिहास और समाज को समझना आवश्यक है।”

सैविनी का “Volkgeist” सिद्धांत और मेन का “Status to Contract” सिद्धांत आज भी कानून और समाज के संबंध को समझने में उपयोगी हैं।

हालाँकि आधुनिक युग में विधानमंडल और न्यायपालिका की भूमिका बढ़ चुकी है, फिर भी यह विद्यालय हमें याद दिलाता है कि – “कानून केवल सत्ता का आदेश नहीं, बल्कि समाज की आत्मा का दर्पण है।”

---

#### ■ Leon Duguit का Social Solidarity Theory Duguit के अनुसार—

- कानून (Law) का उद्देश्य समाज में एक-दूसरे पर निर्भरता (interdependence) को पहचाना है।
  - समाज “एक-दूसरे के हितों पर आधारित” है, इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह समाज की भलाई के अनुसार कार्य करे।
  - Law = Rule of Social Interdependence
  - State की authority भी इसी “social solidarity” से उत्पन्न होती है।
  - कोई भी कार्य कानून तभी माना जाएगा जब वह social solidarity को बढ़ाए और समाज को एकजुट करे।
- 

#### ■ INTRODUCTION (परिचय)

American Realism is an important branch of the Realist School that emerged in the United States during the early 20th century. It rejects the traditional view that law is a set of fixed rules found in statutes or precedents. Instead, it argues that the real law is what **judges actually do in courts**, not what is written in legal books. Therefore, Realism is concerned with **law in action**, not **law in theory**.

अमेरिकन रियलिज्म, 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में अमेरिका में विकसित रियलिस्ट स्कूल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। यह पारंपरिक दृष्टिकोण को अस्वीकार करता है कि कानून सिर्फ पुस्तकों में लिखे गए नियमों का संग्रह है। इसके अनुसार वास्तविक कानून वही है जो न्यायालयों में जज वास्तव में करते हैं, न कि जो किताबों में लिख दिया गया है। इसलिए यह सिद्धांत **व्यवहारिक कानून (law in action)** पर आधारित है।

---

#### ■ DEVELOPMENT OF AMERICAN REALISM (अमेरिकन रियलिज्म का विकास)

The movement arose as a reaction to mechanical jurisprudence, which believed that judges merely apply fixed legal rules. American Realists argued that judicial decisions are shaped by many non-legal factors such as social conditions, public policy, economic realities, and even the personal psychology of judges.

यह आंदोलन उस यांत्रिक न्यायशास्त्र (mechanical jurisprudence) के विरुद्ध विकसित हुआ जिसने यह मान लिया था कि जज केवल स्थापित नियमों को मशीन की तरह लागू करते हैं। अमेरिकी रियलिस्टों ने कहा कि जजों के निर्णय कई गैर-कानूनी कारकों—जैसे सामाजिक परिस्थितियाँ, आर्थिक वास्तविकताएँ, सार्वजनिक नीति, और जज की मानसिकता—से प्रभावित होते हैं।

---

#### \*\* ■ KEY PRINCIPLES OF AMERICAN REALISM (अमेरिकन रियलिज्म के मुख्य सिद्धांत)\*\*

##### 1. Law is what Courts do (कानून वही है जो अदालतें करती हैं)

English: Realists argue that the essence of law is found in court decisions.

Hindi: रियलिस्टों के अनुसार कानून की वास्तविकता न्यायालय के निर्णयों में दिखाई देती है।

##### \*\*2. Law in Action, not Law in Books

(पुस्तक का कानून नहीं, व्यवहार का कानून)\*\*

Courts do not always apply rules mechanically; real law emerges from practice.

न्यायालय नियमों को हमेशा यांत्रिक रूप से लागू नहीं करते; वास्तविक कानून व्यवहार से बनता है।

##### \*\*3. Influence of Social & Psychological Factors

(सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों का प्रभाव)\*\*

Judges' upbringing, experience, emotions, and social views affect decisions.

जज की परवरिश, अनुभव, भावनाएँ और सामाजिक दृष्टिकोण निर्णय को प्रभावित करते हैं।

##### \*\*4. Law is Uncertain

(कानून अनिश्चित है)\*\*

Realists reject the idea of fixed certainty; different judges may decide differently.

रियलिस्ट मानते हैं कि कानून निश्चित नहीं है; अलग-अलग जज अलग निर्णय दे सकते हैं।

##### \*\*5. Importance of Predictability

(पूर्वनियमान का महत्व)\*\*

Holmes said that law means the prediction of how courts will decide cases.

होल्मस के अनुसार कानून का अर्थ है—यह अनुमान लगाना कि अदालत कैसे फैसला देगी।

---

### ■ IMPORTANT THINKERS (प्रमुख विचारक)

#### 1. Oliver Wendell Holmes Jr.

He is considered the Father of American Realism. He emphasized experience over logic and introduced the “Bad Man Theory”—a bad man only cares about what the court will do, not moral rules.

वे अमेरिकी रियलिज्म के जनक माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि कानून का जीवन तर्क नहीं बल्कि अनुभव है। उनकी “Bad Man Theory” प्रसिद्ध है—एक बुरा व्यक्ति केवल यह सोचता है कि अदालत उसके साथ क्या करेगी।

---

#### 2. Karl Llewellyn

He emphasized studying how law actually works in courts and society. He said law is a tool of social control and must be analyzed by observing judges' behavior.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानून को समझने के लिए यह देखना होगा कि अदालतें और समाज में यह कैसे कार्य करता है। उनके अनुसार कानून सामाजिक नियंत्रण का उपकरण है और इसे जजों के व्यवहार से समझना चाहिए।

---

#### 3. Jerome Frank --English:

He developed “Psychological Realism” and argued that judges' personal psychology, background, and emotions deeply influence their decisions.

उन्होंने ‘मनोवैज्ञानिक रियलिज्म’ विकसित किया और कहा कि जज की मानसिक बनावट, अनुभव और भावनाएँ निर्णय पर गहरा प्रभाव डालती हैं।

---

### \*\* ■ CRITICISMS (आलोचनाएँ)\*\*

1. It undermines the authority of legal rules.
  2. It suggests too much judicial subjectivity.
  3. It creates uncertainty in law.
  4. It reduces law to prediction rather than principle.
1. यह कानूनी नियमों की प्रामाणिकता को कम करता है।
  2. यह जजों के अत्यधिक व्यक्तिगत प्रभाव को बढ़ावा देता है।
  3. यह कानून में अनिश्चितता पैदा करता है।
  4. यह कानून को सिद्धांत नहीं, बल्कि अनुमान का विषय बना देता है।
- 

### ■ CONCLUSION (निष्कर्ष)

American Realism made a revolutionary contribution to jurisprudence by shifting focus from theoretical rules to practical judicial behavior. It highlighted the reality that judges are human beings influenced by society and experience. Although criticized for overemphasizing uncertainty, it helped modernize legal thinking and contributed to empirical study of law.

अमेरिकन रियलिज्म ने न्यायशास्त्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हुए ध्यान को सैद्धांतिक नियमों से हटाकर न्यायालय के वास्तविक व्यवहार पर केंद्रित किया। इसने यह स्पष्ट किया कि जज भी इंसान हैं जिन पर समाज और अनुभव का प्रभाव पड़ता है। यद्यपि इसकी आलोचना भी हुई, फिर भी इसने आधुनिक कानूनी चिंतन और व्यवहारात्मक अध्ययन को दिशा दी।

---

### REALIST SCHOOL OF JURISPRUDENCE – Full Detailed Notes

#### ■ INTRODUCTION (परिचय)

The Realist School is a modern and practical school of jurisprudence that emerged in the early 20th century, mainly in America and Scandinavia. It rejects the idea that law is a set of abstract, fixed rules. Instead, it argues that the real law is **what actually happens in courts**, i.e., the behaviour of judges, lawyers, police, and administrative bodies. Realists focus on “**law in action**,” not “**law in books**.”

यथार्थवादी विद्यालय न्यायशास्त्र का एक आधुनिक और व्यवहारिक सिद्धांत है, जो मुख्यतः 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में अमेरिका और स्कैंडिनेविया में विकसित हुआ। यह इस सोच को अस्वीकार करता है कि कानून केवल निश्चित और लिखित नियमों का समूह है। इसके अनुसार वास्तविक कानून वही है जो

अदालतों और प्रशासन में व्यवहार में होता है, अर्थात् न्यायाधीशों और अधिकारियों के वास्तविक कार्य। यह “पुस्तकीय कानून” के बजाय “व्यवहारिक कानून” पर जोर देता है।

---

### ★ \*\*WHY IS IT CALLED “REALISM”? (इसे रियलिज़म क्यों कहा जाता है?)\*\*

Because Realists study **real facts**, real decisions, and real behaviour — not theory or logic.

क्योंकि रियलिस्ट विचारक **वास्तविक तथ्य**, वास्तविक निर्णय और वास्तविक व्यवहार\*\* का अध्ययन करते हैं, न कि केवल सिद्धांत और तर्क का।

---

### ★ \*\*MAIN FEATURES OF REALIST SCHOOL (रियलिस्ट स्कूल की मुख्य विशेषताएँ)\*\*

#### 1. Law is what courts DO, not what statutes SAY

Realists argue that written rules do not decide cases; judges do.

रियलिस्टों का कहना है कि कानून की किताबें फैसले नहीं करतीं — जज करते हैं।

---

#### 2. Focus on “Law in Action” (व्यवहारिक कानून)

Study how police, judges, and officials ACTUALLY enforce law.

यह देखना कि पुलिस, जज और अधिकारी कानून को वास्तव में कैसे लागू करते हैं।

---

#### 3. Law is Uncertain (कानून निश्चित नहीं है)

Different judges may decide differently based on experience, beliefs, and environment.

अलग-अलग जज एक ही मामले में अलग निर्णय दे सकते हैं क्योंकि वे मानवीय कारकों से प्रभावित होते हैं।

---

#### \*\*4. Influence of Psychology (मनोविज्ञान का प्रभाव)\*\*

Realists believe judges' personalities, emotions, upbringing, and biases affect decisions.

रियलिस्ट मानते हैं कि जज की मानसिकता, भावनाएँ, परवरिश और पूर्वाग्रह निर्णय को प्रभावित करते हैं।

---

#### \*\*5. Law is Predictive (कानून पूर्वानुमान पर आधारित है)\*\*

Oliver Holmes said: Law is the prediction of how courts will act.

होल्स का कथन: कानून वह है जो यह बताता है कि अदालत क्या करेगी।

---

### ★ \*\*TWO MAIN BRANCHES OF REALISM (रियलिज़म की दो मुख्य शाखाएँ)\*\*

#### 1. American Realism (अमेरिकन रियलिज़म)

- Developed in USA
- Thinkers: Holmes, Jerome Frank, Karl Llewellyn
- Focus: judge psychology, real court behaviour

#### 2. Scandinavian Realism (स्कैडिनेवियन रियलिज़म)

- Developed in Norway, Denmark, Sweden
- Thinkers: Alf Ross, Olivecrona, Lundstedt
- Focus: law as social facts and empirical study
- Rejects metaphysical concepts (e.g., natural rights)

### ★ \*\*IMPORTANT THINKERS OF REALIST SCHOOL (रियलिस्ट स्कूल के प्रमुख विचारक)\*\*

## Jurisprudence test paper

### 1. Oliver Wendell Holmes Jr. (USA)

- Father of Realism
- "Life of law has not been logic; it has been experience."
- Bad Man Theory

### 2. Karl Llewellyn

- Leader of American Realist Movement
- Law is behaviour of judicial officers
- Look at **actual decisions**, not rules

### 3. Jerome Frank

- Psychological Realist
- Said judges' personal psychology affects decisions

### 4. Alf Ross (Scandinavian)

- Law is a set of directives based on social behaviour

### 5. Olivecrona

- Law has no moral or metaphysical basis — only social facts
- 

### ★ CRITICISM (आलोचनाएँ)

1. Gives too much importance to judges' personal bias
  2. Reduces law to uncertain behaviour
  3. Undermines legal rules and principles
  4. Makes law unpredictable
1. जज की व्यक्तिगत मानसिकता को अत्यधिक महत्व देता है
  2. कानून को अनिश्चित बना देता है
  3. नियमों और सिद्धांतों की शक्ति कम होती है
  4. कानून को पूर्वानुमान का विषय बना देता है
- 

### ★ CONCLUSION (निष्कर्ष)

The Realist School made jurisprudence more practical and scientific by shifting focus from abstract rules to actual judicial behaviour. It highlighted that judges are humans influenced by society and psychology. Although criticized for making law uncertain, realism remains one of the most influential modern schools of thought.

रियलिस्ट स्कूल ने न्यायशास्त्र को अधिक व्यावहारिक और वैज्ञानिक बनाया क्योंकि इसने ध्यान को लिखित नियमों से हटाकर न्यायालय के वास्तविक व्यवहार पर केंद्रित किया। इसने स्पष्ट किया कि जज भी इंसान हैं जिन पर समाज और मनोवैज्ञानिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। यद्यपि इसकी आलोचना की जाती है, फिर भी यह आधुनिक न्यायशास्त्र का अत्यंत प्रभावशाली सिद्धांत है।

---